टी०ए०मिस केस सं० 148/2019–20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
22.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री नानु चाम्पिया, पिता – स्व0 मानकी चाम्पिया, निवासी ग्राम – तुईबीर, थाना – मुफ्फसिल, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा ने मौजा – तुईबीर, थाना संख्या 126 के अन्दर खाता संख्या 121, प्लॉट संख्या 151, रकवा – 0.18 एकड़ भूमि क्रेता श्री कैरा सोय, पिता – स्व0 मुरली सोय, ग्राम – बरकुंडिया, थाना – मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के के नाम से ना०मु०सं० 211 (M)/2013–14 से नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 103, दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री कैरा सोय, पिता – स्व0 मुरली सोय, ग्राम – बरकुंडिया, थाना – मुफ्फसिल के पास 5,33,000.00/–(पाँच लाख तैतीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों उप जाति हो के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री नानु चाम्पिया, पिता – स्व0 मानकी चाम्पिया, निवासी ग्राम – तुईबीर, थाना – मुफ्फसिल, जिला – प0 सिंहभूम चाईबासा ने क्रेता श्री कैरा सोय, पिता – स्व0 मुरली सोय, ग्राम – बरकुंडिया, थाना – मुफ्फसिल के पास जमीन को 5,33,000.00/–(पाँच लाख तैतीस हजार) रूपयें में मौजा–तुईबीर, थाना न0 – 126, खाता नं० – 121, प्लॉट नं० – 151, रकवा–0.18 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। (ह०) 22/02 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (ह०) 22/02/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner